



JALAUN POLICE

दिनांक -16.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान० न्यायालय द्वारा 01 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम- अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार तिवारी पुत्र वैनी माधव नि० खरूसा थाना एट जनपद जालौन द्वारा की गयी चोरी की घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 324/2005 (वाद संख्या 1701/05) धारा 379/411 भादवि के तहत पंजीकृत हुआ था एवं आरोपी राजू उर्फ राजकुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 16.12.2024 को मा० न्यायालय सी. जे. एम. कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा **अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**